

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF), राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ21(7)2023-24 / विकास / प्रमुवसं / 5576

दिनांक: 13/07/2023

निमित्त:-

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
अरावली वृक्षारोपण परियोजना,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- बजट आवंटन वर्ष 2023-24 (आयोजना)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के पत्रांक 4 (6) वन/2011 दिनांक 11.07.2023 (Rajkaj Ref No: 4250314) द्वारा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना-II के लिए प्रसारित स्वीकृति (प्रतिलिपि संलग्न) में दिए गए निर्देशों के अनुसार राशि रुपये 300.00 लाख (अक्षरे रुपये तीन सौ लाख मात्र) का अतिरिक्त आवंटन वर्ष 2023-24 में निम्न बजट मदों के अन्तर्गत किया जाता है।

| क्र.सं. | बजट मद | राशि लाखों में |
|---------|---|----------------|
| 1 | 2406-01-102-(25)-[00]-12- Grant in Aid (Other than Salary) - (आयोजना) | 157.57 |
| 2 | 2406-01-102-(25)-[00]-92- Grant in Aid (Salary) - (आयोजना) | 129.67 |
| 3 | 2406-01-796-(21)-[00]-12- Grant in Aid (Other than Salary) - (आयोजना) | 9.49 |
| 4 | 2406-01-789-(03)-[00]-12- Grant in Aid (Other than Salary) - (आयोजना) | 3.27 |
| | कुल योग:- | 300.00 |

आवंटित राशि का वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना-II के कार्यों पर उपयोग करते समय मिनिट्स ऑफ डिस्कशन्स, लोन एग्रीमेन्ट एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना की जावे। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि राशि जिन कार्यों के लिये आवंटित की गई है उन्हीं पर व्यय की जावे। व्यय की सूचना से समय-समय पर इस कार्यालय को भी सूचित किया जावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

६०

(पी. के. उपाध्याय)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ21(7)2023-24 / विकास / प्रमुवसं / 5577-81

दिनांक: 13/7/2023

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, जयपुर।
2. प्रभारी अंक मिलान शाखा/संकलन शाखा (सांख्यिकी अनुभाग)/कम्प्यूटर शाखा वेबसाइट पर अपलोड हेतु/रक्षी पत्रावली।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक प. 4(06) वन/2011

जयपुर, दिनांक:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ)
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- राजस्थान वानिकी एवं जैव-विविधता परियोजना चरण-2 की अभिवृद्धि की गई अवधि 01 वर्ष (दिनांक 31.03.2024 तक) हेतु व्यय किये जाने वाली संभावित राशि 300.00 लाख रु को परियोजना के बैंक खाते 427502050000186 में हस्तांतरित किये जाने की सहमति बाबत।

संदर्भ:- आपकी एकल पत्रावली क्रमांक पं.2(09)लेखा/बीएफसी /आरएफबीपी-2 /2012-13-0006

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रावली द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार राजस्थान वानिकी एवं जैव-विविधता परियोजना चरण-2 की अभिवृद्धि की गई अवधि 01 वर्ष (दिनांक 31.03.2024 तक) हेतु व्यय किये जाने वाली संभावित राशि 300.00 लाख रु को परियोजना के बैंक खाते 427502050000186 में हस्तांतरित किये जाने की सहमति निम्न शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है:-

| क्र.सं. | बजट-मद | बजट प्रावधान 2023-23 | पूर्व में रिलीज राशि | अवशेष राशि | विभागीय मांग अनुसार रिलीज राशि |
|---------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 1. | 2406-01-102-(25)-[00]-1 2 | 157.57 | - | 157.57 | 157.57 |
| 2. | 2406-01-102-(25)-[00]-9 2 | 129.67 | - | 129.67 | 129.67 |
| 3. | 2406-01-796-(21)-[00]-1 2 | 9.49 | - | 9.49 | 9.49 |
| 4. | 2406-01-789-(03)-[00]-1 2 | 3.27 | - | 3.27 | 3.27 |
| 5. | कुल योग :- | 300.00 | - | 300.00 | 300.00 |

- उक्त राशि का व्यय Minutes of discussion, loan agreement योजना के दिशा निर्देशानुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जावेगा।
- राशि जिन कार्यों के लिये आवंटित की गई है कि उन्हें कार्यों में व्यय किया जावेगा।
- RTPP ACT/Rules की पूर्ण पालना विभागीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
- जिन संस्थाओं को पूर्व में अग्रिम राशि दी गई है उनसे यु.सी. प्राप्त कर नियमानुसार समायोजन सुनिश्चित किया जावेगा।

Validity unknown

Digitally signed by Mohaji Sen
Designation : Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2023.07.11 12:50:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4250314



5. JICA से पुर्नभरण प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा तथा अब तक जिस राशि का पुर्नभरण प्राप्त नहीं हुआ है उसे शीघ्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

यह वित्त(व्यय-3) विभाग के आई.डी. संख्या 172301477 दिनांक 10.07.2023 से अनुमोदित है।

भवदीय,

(मोनाली सेन)
विशेषाधिकारी

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, वन भवन, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी, वन

Validity unknown

Digitally signed by Monali Sen
Designation : Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2023.07.11 12:50:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4250314

